भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 315
दिनांक 05.12. 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

मानव दुर्व्यापार के मामले

315. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में मानव दुर्व्यापार जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में मानव दुर्व्यापार के संबंध में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और इनमें से कितने व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में संविधियों को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार देश में नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारियों और स्थापित किए गए विभाग/स्कंधों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। विगत वर्षों के दौरान मानव तस्करी के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि की कोई सुसंगत प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं।

लोक सभा अता. प्र. सं. 315 दिनांक 05.12.2023

(ख) और (ग): वर्ष 2018 से 2022 के दौरान मानव तस्करी के अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए, आरोप-पत्रित, दोषसिद्ध किए गए और दोषमुक्त/बरी किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): प्रासंगिक विधानों का सुदृढ़ीकरण, सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ): भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम जैसे कानूनों में मानव तस्करी के अपराध से निपटने और अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उचित प्रावधान हैं। इसलिए, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' "राज्य-सूची" के विषय हैं। मानव तस्करी के अपराध की रोकथाम करने और उससे निपटने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबंध में जारी की गई विभिन्न एडवाइजरी के रूप में दिशानिर्देश प्रदान करके उनके द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले प्रयासों में सहायता भी प्रदान करती है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए मानव तस्करी रोधी यूनिटों (एएचटीयू) के स्तरोन्नयन/स्थापना के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। मानव तस्करी के मुद्दे से व्यापक तरीके से

लोक सभा अता. प्र. सं. 315 दिनांक 05.12.2023

निपटने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी स्तरों - राज्य मुख्यालय स्तर, जिला स्तर और पुलिस स्टेशन स्तर पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। मंत्रालय, मानव तस्करी के मुद्दे से संकेन्द्रित और कारगर तरीके से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों/विधि अधिकारियों को नवीनतम पहल/विकास आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' और 'न्यायिक वार्तालाप' आयोजित करने में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, ताकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को मानव तस्करी से संबंधित मामलों की जांच का अधिकार प्रदान किया जा सके।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 315 दिनांक 05.12.2023

अनुलग्नक

वर्ष 2018 से 2020 के दौरान मानव तस्करी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्तियों (पीसीएस), अदालत द्वारा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों (पीसीटी) और दोषमुक्त/बरी किए गए व्यक्तियों (पीएसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018				2019				2020			
		पीएआर	पीसीएस	पीसीटी	पीएसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीटी	पीएसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीटी	पीएसी
1	आंध्र प्रदेश	863	487	48	484	825	512	136	455	619	324	13	181
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	0	0	3	0	0	0	3	2	0	4
3	असम	316	145	3	26	237	97	1	22	166	87	0	10
4	बिहार	337	271	10	0	195	154	0	0	247	229	0	0
5	छत्तीसगढ़	96	92	7	17	91	74	5	8	105	101	0	2
6	गोवा	106	149	1	15	70	76	1	19	27	36	0	6
7	गुजरात	38	38	8	0	40	40	0	0	68	56	0	0
8	हरियाणा	70	65	1	1	21	21	0	72	51	46	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	22	22	0	3	29	26	3	15	8	5	0	0
10	झारखंड	224	188	30	16	198	141	39	40	333	269	58	160
11	कर्नाटक	81	38	0	106	115	85	0	0	59	56	0	0
12	केरल	197	84	1	16	246	147	2	13	408	264	0	16
13	मध्य प्रदेश	291	269	28	112	390	382	34	76	309	287	5	26
14	महाराष्ट्र	901	586	4	22	658	407	1	15	567	346	2	8
15	मणिपुर	6	4	0	0	13	2	0	0	8	0	0	0
16	मेघालय	25	14	0	0	41	18	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	3	3	0	0	13	9	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	10	10	0	0	9	9	0	0
19	ओडिशा	80	0	0	0	239	0	0	0	189	120	0	9
20	पंजाब	71	43	6	13	57	38	0	17	84	55	0	18
21	राजस्थान	117	103	0	0	220	188	0	0	273	251	0	0
22	सिक्किम	2	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
23	तमिलनाडु	48	35	2	41	43	22	4	4	37	21	11	1
24	तेलंगाना	789	666	1	98	575	474	70	368	752	684	2	126
25	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	0	0	0	7	7	0	0
26	उत्तर प्रदेश	115	101	177	0	204	185	5	0	344	158	0	0
27	उत्तराखंड	82	88	4	7	75	69	1	19	23	29	5	15
28	पश्चिम बंगाल	330	341	18	174	249	229	1	246	109	110	1	128
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	5	5	0	0	7	7	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	0	0	0	0	0	3	0	10	9	9	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	168	132	3	7	176	112	4	0	112	80	4	5
33	जम्मू एवं कश्मीर*	6	6	3	7	0	0	0	2	12	12	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	8	0	0	0	17	0	0	0
	कुल	**5388**	**3974**	**355**	**1166**	**5047**	**3526**	**307**	**1401**	**4966**	**3661**	**101**	**715**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 से 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 से 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

लोक सभा अता. प्र. सं. 315 दिनांक 05.12.2023

अनुलग्नक

वर्ष 2021 से 2022 के दौरान मानव तस्करी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्तियों (पीसीएस), अदालत द्वारा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों (पीसीटी) और दोषमुक्त/बरी किए गए व्यक्तियों (पीएसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021				2022			
		पीएआर	पीसीएस	पीसीटी	पीएसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीटी	पीएसी
1	आंध्र प्रदेश	757	485	8	127	775	529	12	423
2	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	4	4	1	0	0
3	असम	349	182	0	12	218	165	0	27
4	बिहार	331	261	0	0	560	558	8	1
5	छत्तीसगढ़	80	63	2	5	69	67	12	0
6	गोवा	26	31	0	9	1	1	2	21
7	गुजरात	49	47	0	0	54	54	0	0
8	हरियाणा	124	119	0	19	66	63	8	15
9	हिमाचल प्रदेश	32	32	0	6	34	19	0	2
10	झारखंड	114	84	21	3	131	87	19	22
11	कर्नाटक	97	43	0	1	72	71	0	13
12	केरल	347	288	1	52	319	226	0	184
13	मध्य प्रदेश	372	327	16	131	394	358	40	128
14	महाराष्ट्र	804	696	1	5	787	561	8	41
15	मणिपुर	7	1	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	4	4	0	0	5	3	0	1
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	228	112	0	9	433	138	0	5
20	पंजाब	53	63	1	3	51	19	1	22
21	राजस्थान	187	187	0	0	201	200	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	10	3	1	2	1	1	0	2
24	तेलंगाना	1050	692	0	63	1019	1125	2	63
25	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	310	32	0	0	201	13	0	0
27	उत्तराखंड	49	30	7	19	65	71	0	10
28	पश्चिम बंगाल	159	201	6	48	139	140	81	141
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	4	4	0	2	3	5	5	3
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	174	131	0	0	217	147	4	10
33	जम्मू एवं कश्मीर	7	2	0	0	17	8	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	25	0	0	0	28	9	2	0
	कुल	**5755**	**4120**	**64**	**520**	**5864**	**4639**	**204**	**1134**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

******